न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 102 / 2020

विकमसिंह मीना निवासी RZ-E-65,Dabri Extn, New Delhi 110045

बनाम

तहसीलदार कामां ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.01.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट **विकमसिंह मीना निवासी** RZ-E-65,Dabri Extn, New Delhi 110045 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2020 तहसीलदार कामां से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार कामां द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 848 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा तहसीलदार कामां से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार कामां से उनके पत्र कमांक / 882 दिनांक 29.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार कामा ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलान्ट ने तहसीलदार कामां से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार कामा से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 882 दिनांक 29.12.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई है। तहसीलदार कामा ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 750-51 दिनांक 20.10.2020 एवं 780 दिनांक 03.11.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार कामां से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कामां को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:03:28 IST
Reason: SelfAttested